local fire brigade to respond to fire calls on railway premises.

(e) The other economy measures adopted by the Railways are accelerated condemnations of steam locos, closing down of steam sheds, closure of yards, energy conservation measures, strict control on purchases and expenditure etc.

उदारीकृत पेंशन फार्मूला के लाभों का विस्तार

3761. **श्री अजीत जोगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने उदारीकृत पेंशन फार्मूला के लाभों का विस्तार करने संबन्धी एक मामले में 17-12-1982 को कोई निर्णय दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वेतन आयोग ने ये सिफारिश की है कि सम्बन्धित कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति के समय मिलने वाली भविष्य निधि की राशि में से सरकार के अंशदान को वापिस करके 1-1-1986 से लागू पेंशन योजना में तबदील करने हेतु एक अन्तिम विकल्प दिया जाये;

(घ) क्या रेलवे प्रशासन ने इस सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी हां, उच्चतम न्यायालय ने 1980 की रिट याचिका सं० 5939-41 के सम्बन्ध में 17-12-1982 को अपना निर्णय दिया था जिसके अन्तर्गत उदारीकृत पेंशन फार्मूला के लाभों का विस्तार उन सभी सरकारी पेंशन भोगियों के लिए किया जाना था, जो पेंशन योग्य स्थापनाओं पर लागू और समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न पेंशन नियमों/योजनाओं के अन्तर्गत 1-4-1979 को पेंशन पा रहे थे ।

(ग) चौथे वेतन आयोग ने सरकार से एक आम सिफारिश की थी कि वह उन व्यक्तियों को पेंशन का विकल्प देने की व्यावहारिकता पर विचार कर सकती है जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत 500 रुपये से अधिक के वेतन पर सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे, बशर्ते कि वे सेवानिवृत्ति के समय अपने भविष्य निधि खाते में जमा किए गए ब्याज सहित सरकारी अंशदान की राशि वापस कर दें ।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा उपर्युक्त सिफारिश पर विचार किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सका था । ऐसे व्यक्तियों को पेंशन योजना के अन्तर्गत आने के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान अनेक विकल्प दिए गए थे, लेकिन वे अपनी इच्छा से ही भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत बने रहे । उनकी पावने की राशि का उनके विकल्प के अनुसार एकबारगी भुगतान कर दिया गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्तियों को, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त किए जा चुके हैं, पेंशन का विकल्प दिए जाने सम्बन्धी याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में विचार किया गया था, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका था।